

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बैंगलूरु
के सदस्यों को

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट:

राय:

हमने कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (कंपनी) के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए (अन्य व्यापक आय सहित) लाभ व हानि की विवरणी, इक्टी में परिवर्तन के विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित हैं, की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर उपर्युक्त एकल इंड एएस वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी देता है और 31 मार्च, 2023 तक के कंपनी के कार्य मामलों तथा उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए उनके लाभ, इक्टी में परिवर्तन व उनके नकद प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित विचार देता है।

राय के लिए आधार:

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अधीन स्वतंत्रता की आवश्यकताएँ जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखा परीक्षा के राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपर्युक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के साथ प्रभारित और उन पर प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, की धारा 134 (5) (अधिनियम) में वर्णित मामलों में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित

भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित कंपनी की वित्तीय स्थितिओं और वित्तीय कार्यनिष्पादन निष्पक्ष स्थिति प्रकट करती है, को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजियों और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उसका पता लगाने, उपर्युक्त लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करने, ऐसे निर्णय और अनुमान करने जो उचित और विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और पूर्णता सूचित्वात्मक करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करनेवाले तथा तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल-कपट या त्रुटि से मुक्त वित्तीय विवरणी को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित हों, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी को तैयार करने में, एक लाभकारी संगठन के रूप में प्रकटीकरण, यथा लागू, संबंधित विषयों से संबंधित मामलों और लेखांकन के लाभकारी संगठन के आधार पर जारी रहने हेतु कंपनी दक्षता का आकलन करने के लिए निदेशक मण्डल जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मण्डल या तो कंपनी के कार्य को समाप्त या इसके संचालन को बंद नहीं किया जाता है, या ऐसा करने के लिए इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर की गई हो, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के अंश के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। आगे हम:



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (जारी...)

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानकर उनका आकलन करने, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करने, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण नुकसान का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक होते हैं, जिसमें धोखाधड़ी के रूप में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अधिभावन शामिल हो।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों में उचित हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तरक्षीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के लाभकारी संगठन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालने के लिए भी जिम्मेदार हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या सामाग्री अनिश्चितता घटनाओं या शर्तों से संबंधित है जो कि एक लाभकारी संगठन के रूप में जारी रखने की इकाई की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि इस तरह के प्रकट राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं, हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ इसे एक लाभकारी संगठन के रूप में जारी रहने पर रोक लगा सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करके क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है।

हम, अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम एक कथन के साथ अभिशासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ सूचित करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय सोचा जा सकता है।

अभिशासन के साथ प्रभारित के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते नहीं हैं या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य विधिक एवं विनियमक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित, हम “अनुबंध – क” में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
- अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर जैसा कि हम उचित समझते हैं, हम एक विवरण संलग्न करते हैं तथा हमें दी गयी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम अनुबंध – ख के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों तथा अतिरिक्त निर्देशों में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण होते हैं।
- अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथाअपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, जो आवश्यक था, वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमने अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगा व प्राप्त किया।
 - हमारी राय में, कंपनी के कानून द्वारा यथाअपेक्षित उचित लेखा पुस्तिका रखी गई है जैसा कि उन पुस्तिकाओं की हमारी जाँच से प्रतीत होता तथा उचित विवरण जो हमारी लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

- ग. इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहार में लाए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरणी, इकीटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह विवरण, उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के अनुरूप हैं।
- घ. हमारी राय में, उपरोक्त इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का अनुपालन करते हैं।
- ड. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी के लिए लागू नहीं होता।
- च. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता।
- छ. कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया अनुबंध-ग में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

- ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है। - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.33क का संदर्भ लें;
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं थे, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वभास नुकसान है।
 - कंपनी में, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
 - कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है जो अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।
 - लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बहीखाते बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को अभिलेख करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

कृते योगानन्ध एंड राम एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन:005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन

भागीदार

सदस्यता सं.218610

यूडीआईएन: 23218610BGXKED3897

स्थान : बैंगलूरु

तारीख : 18 जुलाई 2023



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अनुबंध – क

अनुबंध – क : कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में, यथा लागू सीमा तक, भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण

- i. कंपनी के परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - क. (अ) कंपनी मात्रात्मक विवरण और परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए हुए है।
 - (आ) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रख रही है।
 - ख. इसकी अचल परिसंपत्तियाँ के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रबंधन द्वारा तीन वर्षों की अवधि में सभी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कंपनी के आकार और अचल परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।
 - ग. सभी अचल परिसंपत्तियाँ के शीर्ष विलेख कंपनी के नाम पर हैं।
 - घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियाँ या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - ड. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी परिसंपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ii. अ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई हैं। हालांकि, कंपनी के आकार को देखते हुए, शाखाओं में निर्मित माल के सत्यापन की आवृत्ति उचित या पर्याप्त नहीं है।
 - आ. जैसा कि वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में बताया गया है, कंपनी को व्यापार में स्टॉक की सुरक्षा और समान कदम पर बही ऋण के आधार पर कंपनी को बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है और समान कदम पर अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रभारित की गई अचल परिसंपत्तियों के अलावा अन्य अचल परिसंपत्तियों की संपार्श्चक सुरक्षा मंजूर की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दायर त्रैमासिक विवरणी कंपनी के खाते की पुस्तकों के अनुरूप हैं।
- iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में निवेश नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है, और इसलिए आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- v. कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जमा माना जाता है और इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित किया है। कंपनी सामान्य रूप से निर्दिष्ट के अनुसार उचित अभिलेख बनाए रखती है।
- vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सांविधिक देय राशि के संबंध में कंपनी नियमित रूप से वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि को तत्संबंधी प्राधिकार को जमा कर रही है।

31 मार्च 2023 पर उनके अदा करने की तारीख से छे महीनों के अंतर्गत आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखितों को छोड़कर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर के बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि देय नहीं हैं :

संविधि/प्राधिकार का नाम	बकाए की प्रकृति	अवधि	मंच जहां विवाद लंबित है	राशि लाख रुपए में*
वैट अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 1999-2000	जेसीसीटी, पटना	7.33
सीएसटी अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 1999-2000	जेसीसीटी, पटना	0.19
वैट अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 2000-2001	जेसीसीटी, पटना	7.14
सीएसटी अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 2000-2001	जेसीसीटी, पटना	3.73

- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।
- ix. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।
- ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इच्छुक दोषी घोषित नहीं किया गया है।
- ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- घ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- ड. चूंकि कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ड) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- च. चूंकि कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होगी।



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-'क' (जारी...)

- x. क. कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रृषि लिखतों सहित आरंभिक पब्लिक ऑफर या अन्य पब्लिक ऑफर के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेरयों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी अंतरण नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xi. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- ग. हमें सूचित किया गया है कि चूंकि कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित नहीं किया है।
- xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, तदनुसार आदेश का खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।
- xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पक्षकार लेनदेन के विवरण को वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथाआवश्यक प्रकट किया गया है।
- xiv. क. कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- ख. हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत अवधि के लिए हमारे द्वारा विचार किया गया है।
- xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xvi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-खक के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, रिपोर्ट करने की आवश्यकता पर आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) लागू नहीं है।
- xvii. कंपनी ने हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं उठाई है।
- xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- xix. वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 49 में प्रकट वित्तीय अनुपातों के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की उम्मीद और अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी के तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने पर तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं देती है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर सभी देयताएँ देय हैं, कंपनी द्वारा उन्हें देय होने पर रद्द कर दी जाएगी।



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-'क' (जारी...)

- xx. क. चालू परियोजनाओं के इतर अन्य के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम (अधिनियम) की अनुसूची तख्त में निर्दिष्ट निधि में कोई अव्ययित राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 38 में इस मामले का प्रटीकरण किया गया है।
- ख. चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- xxi. चूंकि कंपनी समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं करती है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

कृते योगानन्ध एंड राम एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन:005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन

भागीदार

सदस्यता सं.218610

यूडीआईएन: 23218610BGXKED3897

स्थान : बैंगलूरु
तारीख : 18 जुलाई 2023



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अनुबंध — ख

अनुबंध — ख : कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 5 के तहत आवश्यक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देश पर कथन

क्रम सं.	निर्देश	हमारा उत्तर
I.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	हां, कंपनी के पास लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली उपलब्ध हैं।
II.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बटे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जा जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (ऋणदाता एक सरकारी कंपनी होने के मामले में, यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो किसी ऋण का पुनर्गठन किया है और न ही उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ किया है/बटे खाते में डाला है।
III.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	कंपनी ने केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई निधि प्राप्त/प्राप्य योग्य नहीं है।

कृते योगानन्द एंड राम एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन:005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन

भागीदार

सदस्यता सं.218610

यूडीआईएन: 23218610BGXKED3897

स्थान : बैंगलूरु

तारीख : 18 जुलाई 2023

अनुबंध–ग : कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 के अनुसार कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंड-एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा को आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (दिशानिर्देश टिप्पणी) तथा लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है।

उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन / विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभाविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूदा भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के यथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर हैं।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं कि -



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-'ग' (जारी...)

- 1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है;
- 2) आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिएआवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाने और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करता है; और
- 3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिष्टी सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा मार्च 31, 2023 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते योगानन्ध एंड राम एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन:005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन

भागीदार

सदस्यता सं.218610

यूटीआईएन: 23218610BGXKED3897

स्थान : बैंगलूरु

तारीख : 18 जुलाई 2023